

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 01/11/2022

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:-स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों/पेंशनरों के लिए ओपीडी सीमा वृद्धि के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक एफ1(258)/आरजीएचएस /सैव लैटर्स/22-23 /2402 दिनांक 02.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि वित्त विभाग द्वारा आदेश दिनांक 07.10.2022 यद्यपि राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए है परन्तु समान आधार पर सक्षम स्तर तथा cost ceiling स्वायत्तशाषी संस्था के कार्मिकों एवं पेंशनरों के आरजीएचएस अन्तर्गत OPD limit enhancement हेतु लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति बारकोड संख्या 322200350 दिनांक 31.10.2022 पर वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की गई है।

भवदीय,

(विद प्रकाश गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव

Issued
R